न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 503/2023
वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. अजय पुत्र श्री भानीराम जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. अशोक कुमार पुत्र श्री भानीराम जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. भानीराम पुत्र श्री हजारीराम जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–
वादी की ओर से :– श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :– श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :–

वादीगण अजय व अन्य ने प्रतिवादीगण भानीराम वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि प्रतिवादी सं. 1 वादीगण का पिता है जो कि एक सयुक्त परिवार के सदस्य है। वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 आर.टी.पी. के खाता सं. 9/0 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 1.972 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी है जिसमें वादीगण का जन्म से हित एवं स्वत्व (By birth Right) निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि बंटवारानुसार वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 को घरु तौर पर बंटवारा में प्राप्त विरासतन कृषि भूमि निम्न प्रकार से प्राप्त हुई हैं :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.14 17:09:40 IST
Reason: SelfAttested

लगातार ––2

(क) वादीगण अजय एवं अशोक कुमार पुत्रगण श्री भानीराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि का विवरण :-

तहसील संगरिया के चक 2 आर.टी.पी. के खाता सं. 9/0 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 1.972 है. कृषि भूमि में से 2/3 हिस्सा कृषि भूमि ब.हि.ब.

(ख) प्रतिवादी सं. 1 भानीराम पुत्र श्री हजारीराम जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

तहसील संगरिया के चक 2 आर.टी.पी. के खाता सं. 9/0 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 1.972 है. कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा कृषि भूमि

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 को विरासतन तौर पर प्राप्त समस्त कृषि भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित किया गया है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि प्रतिवादी सं. 1 को प्रश्नगत् कृषि भूमि विरासतन तौर पर प्राप्त हुई है। वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 को बंटवारानुसार कृषि भूमि दर्ज करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 टाल मटोल करता रहा आखिर गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 2 का जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादीगण के द्वारा तहसील संगरिया के चक 2 आर.टी.पी. के खाता सं. 9/0 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 की जमाबन्दीयों की प्रतियां पेश की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादीगण में वादी सं. 1 का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादीगण के अभिभाषक ने कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादीगण ने राजीनामा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादीगण ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित अराजी वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 आर.टी.पी. के खाता सं. 9/0 जमाबन्दी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.14 17:09:40 IST
Reason: SelfAttested

लगातार --3

सम्वत् 2071–74 में 1.972 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक राजीनामानुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 आर.टी.पी. के खाता सं. 9/0 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 1.972 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 2/3 हिस्सा कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे।

नोटः– यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.14 17:09:40 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 503/2023

---

1. अजय पुत्र श्री भानीराम जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. अशोक कुमार पुत्र श्री भानीराम जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. भानीराम पुत्र श्री हजारीराम जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :– .....

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)** के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील वादी मिन जामिन मुदई **श्री महावीर बेरड़** वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 आर.टी.पी. के खाता सं. 9/0 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 1.972 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 2/3 हिस्सा कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे।

नोट :– यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ..... निल ..... मुब्लिक .....निल ..... बाबत् ....निल..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज **दिनांक 22.02.2024** को जारी किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.14 17:09:40 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड़ अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official